

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक /2/अवि./सेल-डी.पी.सी./2014/

भोपाल, दिनांक

//आदेश//

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्रमांक/2/अवि./सेल-डी.पी.सी./2013/ 766-आई, दिनांक 23.09.2013 के सरल क्रमांक 05 पर अंकित श्री जी.डी.शर्मा नान मेडिकल सुपरवाइजर, जिला दतिया की पदोन्नति वरिष्ठ नान मेडिकल सुपरवाइजर (कुष्ठ) के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम के अधीन की गई है।

श्री जी.डी.शर्मा की पारिवारिक कठिनाईयों एवं उनके सेवा निवृत्त अवधि को दृष्टिगत रखते हुए आदेश दिनांक 23.09.2013 में संशोधन करते हुए श्री जी.डी.शर्मा, नान मेडिकल सुपरवाइजर की पदस्थापना ग्वालियर जिले में रिक्त पद पर करते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

(शैलबाला मार्टिन)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक /2/अवि./सेल-डी.पी.सी./2014/50-M

भोपाल, दिनांक 24/01/2014

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर/उज्जैन संभाग म.प्र.।
2. मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर/रतलाम/दतिया म.प्र.।
3. संयुक्त संचालक (कुष्ठ) स्थानीय कार्यालय म.प्र.।
4. जिला कुष्ठ अधिकारी ग्वालियर/रतलाम/दतिया म.प्र.।
5. श्री जी.डी.शर्मा नान मेडिकल सुपरवाइजर द्वारा- मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया, म.प्र. की ओर पालनार्थ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 2/अवि./सेल-डी.पी.सी/2013/

भोपाल, दिनांक / / 2013

:: आदेश ::

संचालनालय स्तर पर दिनांक 24.07.2013 को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुसंशा पर निम्नलिखित नॉन मेडिकल सुपरवाइजर (कुष्ठ) को वरिष्ठ नॉन मेडिकल सुपरवाइजर (कुष्ठ) के पद पर वेतनमान रुपये 9300-34800 +ग्रेड पे 3600 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन अस्थाई तौर से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना स्थान
1	श्री बी.के. गुप्ता (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर के अधीन
2	श्री के.के. सोनी (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन के अधीन
3	श्री एस.सी. जैन (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के अधीन
4	श्री डी.सी. कोरी (अनुसूचित जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर के अधीन
5	श्री जी.डी. शर्मा (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम के अधीन
6	श्री बुधसेन अहिरवार (अनुसूचित जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बड़वानी के अधीन
7	श्री बी.आर. झोड (अनुसूचित जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन्दौर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन्दौर के अधीन
8	श्री एम.के. पटेल (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर के अधीन
9	श्री आर.के. श्रीवास्तव (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुना	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड के अधीन
10	श्री ए.के. परसाई (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिन्दवाडा के अधीन
11	श्री व्ही.एन. शर्मा (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर के अधीन
12	श्री राजकुमार त्रिवेदी (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर के अधीन
13	श्री अबरार अहमद खान (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार के अधीन
14	श्री आई.के. कोल (अनुसूचित जन जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खण्डवा के अधीन

1. पदोन्नत कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित है अथवा निलंबित है, तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को भेजे।

2. पदोन्नति पद एवं स्थान पर आदेश प्राप्ति के उपरांत 15 दिवस की अवधि में पदोन्नत कर्मचारी को अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
3. संबंधित कर्मचारियों के कार्यमुक्त होने/कर्तव्य पर उपस्थित होने की सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संचालनालय को 07 दिवस में आवश्यक रूप से भेजना होगा।
4. पदोन्नत कर्मचारियों के समस्त मूल अभिलेखों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कराई जाने की पूर्णरूपेण जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी। सभी प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जाना आवश्यक होगा। यदि कर्मचारी संबंधित संवर्ग के अधीन न आता हो अथवा प्रमाणपत्र संदिग्ध लगता है तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को विशेष डाक द्वारा भिजवाई जाना सुनिश्चित करें।
5. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति)नियम 2002 के तहत निर्धारित अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षण संबंधि निर्देशों का पालन किया गया है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा-
अनुमोदित

हस्ताक्षर
(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23/09/2013

पृ.क्रमांक 2/अवि./सेल-डी.पी.सी/2013/797-I

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
3. अध्यक्ष, विभागीय पदोन्नति समिति, स्थानीय कार्यालय।
4. संयुक्त संचालक /उप संचालक (कुष्ठ) स्थानीय कार्यालय।
5. संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
6. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य संवायें मध्यप्रदेश।
7. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
8. समस्त, जिला कुष्ठ अधिकारी मध्यप्रदेश।
9. संबंधित कर्मचारी, उपरोक्तानुसार की और पालनार्थ।

हस्ताक्षर
22/9/13
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश